Office : 0612-2630903 (O)
E.-mail ID : arri.patna@gmail.com, arri-patna@gov.in

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान
(केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
अगमकुआँ, पटना – 800007 (बिहार)
REGIONAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE
(Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, Govt. of India)
AGAM KUAN, PATNA-800007 (Bihar)

फा.सं. 4–11/2021–22/क्षे० आयु० अनु० सं०/पटना/274 दिनांकः 08/07/2021

विज्ञापन निविदा संख्याः–03/2021–22

सीमीत निविदा आमंत्रण

निविदा की अंतिम तिथि : 31/07/2021 सायं. 2:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि : 31/07/2021 सायं. 3:00 बजे

सेवा में,

____

____

____

विषयः– किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु।

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अगम कुआं , पटना में अनुसुचित जाति उपयोजना के अंतर्गत "मातृ एवं शिशु स्वास्थय कल्याण परियोजना" में गाँवों के सर्वेक्षण, स्वास्थय परीक्षण एवं औषधियाँ वितरण हेतु तथा विभिन्न कार्यो के लिए अधिकारियों द्वारा शहर से बाहर आने व जाने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अनुसार न्यूनतम दर पर 05 सीट वाले वाहनों को उपलब्ध करानें संबंधी सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है कृप्या आप अपनी निविदा दिनांक 31/07/2021 अथवा इससे पहले उक्त पते पर भेजने की कृपा करें।

नियम व शर्ते :–

1. निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में सहायक निदेशक (प्रभारी), आर ए आर आई पटना के पते पर दिनांक 31/07/2021 को 2:00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त होने चाहिए जो की दिनांक .31/07/2021 को सायं 3:00 बजे खोली जाएगी।
2. निविदा की तकनिकी बिड व वित्तीय बिड को अलग अलग लिफाफे में बंद करें और उन पर तकनीकी बिड व वित्तीय बिड लिखें तत्पयश्चात दोनों लिफाफों को एक लिफाफे में डाल कर सहायक निदेशक (प्रभारी) आर ए आार आाई. पटना के नाम से उक्त पते पर भेजें।
3. निविदा के साथ राशि 6000/–रू अर्नेस्ट मनी के लिए बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें जो सहायक, निदेशक (प्रभारी) आर ए आर आई. पटना के नाम से देय हो। अर्नेस्ट मनी के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। अर्नेस्ट मनी की राशि असफल निविदाकारों को निविदा के स्वीकृत न होने की स्थिति में वापिस कर दी जाएगी।
4. पाँच सीट वाले वाहन की आवश्यकता माह में कम से कम 20 दिन रहेगी तथा आवश्यकता अनुसार

Ravi

बढाई भी जा सकती है तथा अधिकारियों के शहर से बाहर किए जाने वाले दौरों के अवसर आवश्यकता होगी।

5 निविदा के साथ वाहनों की संख्या वाहन पंजीकरण टैक्सी परमिट वाहन नंबर मॉडल नंबर/टाइप देय होगा।

6 वाहन तीन साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए इस संबंधी दस्तावेज संलग्न करें।

7 फर्म शनिवार रविवार तथा अन्य अवकाश पर भी वाहन देने में सक्षम हो।

8 फर्म का अपना मोबाइल फोन तथा लैड लाइन फोन हो।

9 वाहन चालक के पास मोबाइल फोन की सुविधा हो। LMV,CAB का वैध लाईसेंस हो तथा उसे न्यूनतम तीन साल का अनुभव हो।

10 वाहन प्रातः 8.30 बजे संस्थान में वाहन चालक एवं ईंधन सहित उपलब्ध कराना होगा।

11 स्वीकृत दर व टोल टैक्स के अलावा अन्य कोई प्रभार संस्थान द्वारा देय नहीं होगा। दिए गए रेट पर करार हो जाने रेट एक वर्ष के लिए मान्य रहेंगे तथा इस अवधि में पैट्रोल व डीजल के रेट बढ जाने पर टैक्सी के रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

12 यात्रा का समय एवं दूरी की गिनती संस्था से चल के वापिस वहीं तक होगी। दर निर्धारित दूरी व अवधि के लिए प्रतिदिन की दी जाएगी।

13 वाहन के खराब होने या उसकी मरम्मत के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।वाहन खराब होने की परिस्थिति में फर्म को उसी स्थान पर दूसरा वाहन शीघ्र उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उसके लिए उपयुक्त कटौती की जाएगी।

14 भुगतान मासिक आधार पर चैक द्वारा फर्म के नाम से किया जाएगा तथा नियमानुसार टीडीएस/जीएसटी राशि से काट दिया जाएगा। फर्म /प्रोपराईटर का पैन पंजीकरण की प्रति संलग्न करें। इस़ लिए दरें प्रचलित आयकर को मिलाकर दी जाएँ।

15 फर्म द्वारा जिन अन्य सरकारी कार्यालयों को टैक्सी यदि उपलब्ध कराई जा रही है उस संबंधी प्रमाण संलग्न करें। पूर्व में सरकार से निविदा के तहत कार्य करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

16 वाहनो की अनुबंध अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है।

17 सफल निविदाकर्ता को निविदा के फाईनल होने पर आदेश प्राप्त करने से पहले आदेश की कीमत का 5% राशि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए बैंक ड्राफट के रुप में सहायक, निर्देशक (प्रभारी) आर.ए. आर. आई. पटना के नाम संस्थान में जमा करवानी होगी जो कि कांट्रैक्ट के समाप्त होने पर बिना किसी ब्याज के वापिस की जाएगी।कांट्रैक्ट के दौरान यदि फर्म द्वारा नियमों व शर्तो का उल्लंघन किया जाता है अथ्वा सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती है या सेवा प्रदान करने से मना किया जाता है तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगा। जिसके लिए संस्थान का निर्णय मान्य होगा।

18 किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सहायक निर्देशक (प्रभारी) के पास सुरक्षित होगा।

08.07.21

सहायक निर्देशक (प्रभारी)

08/7/21